कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 112 / 2018 / 10–11 / 11 / 1781 भोपाल, दिनांक 20/5/22

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
(सामान्य) वनमंडल सीधी,
मध्यप्रदेश।

विषय:–जिला सीधी के अंतर्गत महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना फेस–2 के निर्माण हेतु 2.8516 हेक्टेयर वन भूमि महान नहर संभाग, सीधी को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB 099/2021-BHO दिनांक 20.05.2022

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

शर्त क्रमांक– A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार कुल राशि रू. 73,92,923/– आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक– A(2, 3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप वन भू–अभिलेख शाखा को भेजते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

शर्त क्रमांक– A(4) के पालन में प्रभावित 2.8516 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 27,31,206/– आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में जमा करने हेतु लेख करें, ताकि आवेदक संस्थान शर्त क्रमांक– A(6) के अनुसार कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से समस्त राशियों का भुगतान ऑनलाईन राशि जमा कर सके।

शर्त क्रमांक– A(7) के पालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवायें।

शर्त क्रमांक– A(8) में परियोजना की 534.218 हे0 भूमि के संबंध में लगाई गई शर्तों का पालन भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत की जावें।

शर्त क्रमांक– B(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित किया जावें।

भारत सरकार द्वारा जारी शेष समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को 02 प्रति में प्रेषित किया जावें।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

SAC / W

20/5/22

कार्यालय कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी (म.प्र.)
आ.क्र. 1114
दिनांक 20/05/2022

20/5/2022
(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section...(Part-II).docx

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 112 / 2018 / 10–11 / 11 / 1782 भोपाल, दिनांक 20/5/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, पादरा कालोनी, सीधी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

20/5/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल